रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, सितम्बर 5—सितम्बर 11, 2010, शनिवार/भाद्र 14—भाद्र 20, 1932

No. 37] NEW DELHI, SEPTEMBER 5—SEPTEMBER 11, 2010, SATURDAY/BHADRA 14—BHADRA 20, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 145.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, सहायक निदेशक (विधि एकक) और विधि सहायक भर्ती नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, सहायक निदेशक (विधि एकक) और विधि सहायक भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, सहायक निदेशक (विधि एकक) और विधि सहायक भर्ती नियम, 1985 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—